हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 03 अप्रैल 2025, समय 1810 (10 मिनट)

आज राज्यसभा में वक़्फ़ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया।

हरियाणा में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी, मुख्यमंत्री ने कहा कि फैसले के उठान के साथ ही किसानों के खातों में फसल की अदायगी की जाएगी।

हरियाणा सरकार ने चेन्नई स्थित भारतीय आद्योगिक संस्थान के साथ सड़क सुरक्षा हेतू डेटा संचालित सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने वक्फ संशोधन विधेयक का महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इससे वक़्फ़ की जमीनों की लूट रुकेगी।

हरियाणा फिल्म महोत्सव कल रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविधालय में शुरू होगा।

****

आज राज्यसभा में वक़्फ़ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। समाचार लिखे जाने तक विधेयक पर चर्चा जारी थी। उल्लेखनीय है कि कल लोकसभा विपक्ष के संशोधनों को ख़ारिज करते हुए इस विधेयक के पारित कर दिया था।

****

हरियाणा में गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि किसानों को फसल की खरीद में लोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए मंडियों में पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। फसल के उठान के साथ ही किसानों के खतों में खरीदी गई फसल की अदायगी कर दी जाएगी।

पलवल से हमारे सवांददाता ने बताया कि अनाज मंडी में गेहूं की खरीद सुचारु ढंग से की जा रही है। मार्किट कमेटी के सचिव मनदीप सिंह ने बताया कि पलवल मंडी में गेहूं खादय एवं आपूर्ति विभाग और वेयर हाउस द्वारा की जा रही है। उन्होंने किसानों से फसल सुखाकर लेन की अपील की।

****

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के मौके पर हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री उसी दिन यमुनानगर में दीनबंधु चौधरी छोटूरामताप ऊर्जा संयंत्र में 800 मेगावाट की नई इकाई का नींव पत्थर भी रखेंगे। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा और सफाई के पुख्ता प्रबंध करने और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। इसके अलावा, लोगों के लिए पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करने को कहा है।

****

हरियाणा सरकार ने चेन्नई स्थित भारतीय आद्योगिक संस्थान के साथ सड़क सुरक्षा हेतू डेटा संचालित सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।यह समझौता 2 वर्ष के लिए किया गया है। समझौते पर हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और प्रोधोगिकी संस्थान के सड़क सुरक्षा उत्कृष्ट केंद्र के पप्रमुख प्रो वैंकटेश बाल सुभरमण्यम की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। इसमें

दुर्घटना के आकड़ों का अनुमान लगाने और प्रयासों की योजना बनाने के लिए प्रदेश में पहले से शुरू किए गए संजय प्लेटफार्म और मंचों का प्रयोग होगा।

****

प्रादेशिक सामाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं।

हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग- इन कर सकते हैं।

यह समाचार हमारे यू- ट्यूब चैनल और एक्स हैंडल **Akashvani News Chandigarh** पर भी उपलब्ध हैं।

****

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि कल लोकसभा में पारित हुआ वक्फ संशोधन विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक है। और यह बिल हेरा फेरी रोकने के लिए है, क्योंकि सारे देश में वक्फ की जमीनों को लूटा जा रहा था। श्री विज ने कहा कि वक्फ बोर्ड विधेयक में कोई पहली बार संशोधन नहीं हुआ है बल्कि इससे पहले भी पांच बार संशोधन हो चुका है। श्री विज आज अंबाला में मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में तुष्टिकरण की राजनीति से प्रभावित होकर कांग्रेस की सरकार ने वक्फबोर्ड बिल में बदलाव किया था।

****

हरियाणा के गौरवशाली इतिहास, समृद्ध संस्कृति व बहुरंगी सांस्कृतिक आयामों पर केन्द्रित "हरियाणा फिल्म महोत्सव 2025" कल परसों तक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा।इस दो दिवसीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ हरियाणा के युवा सशक्तिकरण और खेल मंत्री गौरव गौतमकल करेंगे जबकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महोत्सव के समापन सत्र तथा पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे।प्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार राव समापन

समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। विश्वविधालय के कुलपति प्रो. राजबीर सिंह भी दोनों कार्यक्रमों में बतौर विशिष्ट अतिथि रहेंगे।इस दो दिवसीय फिल्म महोत्सव में तीन मास्टर क्लास होंगी जिनके विषय "स्क्रिप्ट टू सिनेमा", "हरियाणवी संस्कृति के विकास में गीत संगीत की भूमिका" तथा "क्षेत्रीय सिनेमा का महत्व व विकास क्यों जरूरी" रहेंगे। इस दो दिवसीय फिल्म महोत्सव में लघु फिल्मों तथा वृत्त चित्र की प्रतियोगिता भी होगी। विविध विषयों पर लघु फिल्मों, वृत्त चित्रों को उनकी समीक्षा एवं मूल्यांकन उपरांत पुरस्कार के लिए चुना जाएगा। चुनी गयी फिल्मों के लिए 5 अप्रैल को पुरस्कार दिए जाएंगे।

****

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला और उपमंडल स्तर पर आयोजित समाधान शिविरों में जनता से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने लोगों की संतुष्टि के स्तर के बारे में प्रत्यक्ष रूप से जानकारी हासिल की।
मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों और उपमंडल मजिस्ट्रेट को भी प्रतिदिन व्यक्तिगत रूप से शिविर में उपस्थित होकर लोगों की शिकायतों का मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए, ताकि शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी भी उपस्थित रहे ।मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों और एसडीएम से प्राप्त शिकायतों, निपटाई गई शिकायतों और लंबित शिकायतों की संख्या के बारे में भी जानकारी हासिल की। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि अक्टूबर से मार्च 2025 तक सभी जिलों में समाधान शिविरों में प्राप्त 18,925 शिकायतों में से 10,955 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, 6,639 लंबित हैं और 1,331 को खारिज कर दिया गया है। इसी प्रकार, राज्यभर में शहरी स्थानीय निकायों में आयोजित समाधान शिविरों में प्राप्त 8,635 शिकायतों में से 5,761 का समाधान किया जा चुका है, 1,813 लंबित हैं और 1,061 को खारिज कर दिया गया है।मुख्यमंत्री ने कुछ जिलों में शिकायतों के लंबित रहने का कड़ा संज्ञान लेते हुए उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मिलकर सप्ताह में एक बार इन शिकायतों की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करें, ताकि लंबित मामलों की संख्या शून्य हो। उन्होंने

इस बात पर जोर दिया कि नीतिगत निर्णयों से जुड़ी शिकायतों को मुख्य सचिव कार्यालय को भेजा जाना चाहिए, जहां उनके समाधान के लिए सरकार के स्तर पर निर्णय लिए जा सकते हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य लोगों के जीवन को आसान बनाना है, ताकि उन्हें अपने काम करवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।उन्होंने कहा कि यदि शिकायतकर्ताओं को एक ही मुद्दे के लिए बार-बार समाधान शिविरों में जाना पड़ता है तो अधिकारी जवाबदेह होंगे

****

अंबाला के जिलाधीश अजय सिंह तोमर ने जिलें में फसल अवशेषों के आग न लगने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसको लेकर आज से भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता 2023 की धरा 163 लागू की गई है। उपायुक्त ने कहा कि वायु प्रदूषण को रोकने व नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए धरा 163 लागु की गई है। उन्होंने कहा कि आदेशों की उल्लघना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने पुलिस प्रशासन व सम्बंधित विभाग को इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाने को कहा है।